प्रेस के लिए सूचना पत्र (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 20/2020)

तुरंत जारी करने के लिए

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

भादूविप्रा ने ''18 जुलाई 2017 की कैप्टिव वीसैट सीयूजी पॉलिसी के मुद्दों'' पर स्पष्टीकरण/पुनर्विचारित राय जारी की।

नई दिल्ली, 10 अप्रैल, 2020 – भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा) ने 18 जुलाई 2017 को "कैप्टिव वीसैट सीयूजी पॉलिसी के मुद्दों" पर दूरसंचार विभाग को अपनी सिफारिशें भेजी थीं। दूरसंचार विभाग ने 17 मार्च, 2016 के अपने पत्र के माध्यम से कुछ सिफारिशों पर पुनर्विचारित राय/सिफारिशें देने का आग्रह किया था।

2. दूरसंचार विभाग द्वारा दी गई राय पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण ने सरकार को अपना जवाब प्रस्तुत किया। सरकार को प्रस्तुत उत्तर भादूविप्रा की वेबसाइट www.trai.gov.in पर अपलोड किए गए हैं। दूरसंचार विभाग के पत्र पर विचार करने के बाद मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

3. दूरसंचार विभाग के पत्र पर विचार करने के बाद मुख्य सिफारिशें निम्नानुसार हैं:

(i) प्रारंभिक वित्तीय बैंक गारंटी (एफबीजी) की राशि, जो आवेदक कंपनी द्वारा कैप्टिव वीसैट सीयूजी लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने से पहले प्रस्तुत की जाती है, को 30 लाख रुपये की जगह 15 लाख रुपये किया जाना चाहिए। बाद के वर्षों के लिए, यह दो तिमाही के लाइसेंस शुल्क के बराबर अनुमानित देय राशि के बराबर होनी चाहिए।

(ii) रॉयल्टी शुल्क केवल नियत आवृत्तियों के शुल्क तक सीमित होना चाहिए। कैरियर्स की संख्या से अधिक वीसैट की संख्या के लिए पुनः उपयोग फैक्टर के रूप में अतिरिक्त 25 प्रतिशत राशि लेने का कोई औचित्य नहीं है।

(iii) समस्त प्रक्रियाओं, जिनमें कैप्टिव वीसैट सीयूजी लाइसेंस के संबंध में स्पेस सेगमेंट, ग्राउंड सेगमेंट आदि के लिए लाइसेंस लेना, अनुमोदन/क्लीयरेंश प्राप्त करना शामिल हैं, के लिए आवेदक/लाइसेंसधारी कंपनियों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक सिंगल विंडो प्रक्रिया बनाने की सिफारिश की गई है।

विस्तृत उत्तर भादूविप्रा की वेबसाइट पर उपलबध हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए श्री एस. टी. अब्बास, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम व लाइसेंसिंग) से advmn(@.trai.gov.in पर संपर्क किया जा सकता है।

.

(एस. के. गुप्ता)

सचिव, भादूविप्रा

अस्वीकरण: यह विज्ञप्ति / निविदा मूलरूप से अंग्रेजी में लिखित विज्ञप्ति / निविदा का हिंदी अनुवाद हैं। यदि इसमें कोई विसंगति परिलक्षित होती है तो अंग्रेजी में लिखित यह विज्ञप्ति / निविदा मान्य होगी।